कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश
प्रगति भवन, विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, एम.पी.नगर, भोपाल
दूरभाष : 0755–2674206, 2674248, फैक्स : 0755–2766315
e-mail pccfwl@mpforest.org

क्रमांक / संरक्षण / 132 / 449 भोपाल, दिनांक : 21-1-2014

प्रति,

Mail

समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व
समस्त संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय / वन्यप्राणी), वन वृत्त
प्रबंध संचालक, राज्य वन विकास निगम, भोपाल
समस्त वनमंडलाधिकारी, सा. वनमंडल
वनमंडलाधिकारी (वन्यप्राणी) वनमंडल, नौरादेही, सागर / पालपुर कूनो, श्योपुर
क्षेत्रीय महाप्रबंधक, राज्य वन विकास निगम (भोपाल / जबलपुर)
मध्यप्रदेश.

विषय :– **प्रदेश में बाघों के संरक्षण को सुदृढ़ करने हेतु आयोजित समीक्षा बैठकों में हुई चर्चा के आधार पर नियत किए गए बिन्दुओं पर कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश।**

प्रदेश में बाघों के संरक्षण को सुदृढ़ करने हेतु आयोजित समीक्षा बैठकों में हुई चर्चा के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित प्रत्येक बिन्दु पर प्रभावी कार्रवाई हेतु जारी दिशा निर्देश आपकी ओर संलग्न प्रेषित है। इन निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(नरेन्द्र कुमार)
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र.
21/01/14

Point Wise Order to Field Staff

प्रदेश में बाघों के संरक्षण को सुदृढ़ करने हेतु आयोजित समीक्षा बैठकों में हुई चर्चा के आधार पर नियत किए गए बिन्दुओं पर कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश

<u>वनक्षेत्रों में वन्यप्राणियों के लिये जलस्त्रोत के विकास हेतु दिशा निर्देश की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु समेकित योजना बनाकर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता</u>

वनक्षेत्रों में वन्यप्राणियों के लिये जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु समेकित योजना बनाकर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। 3 कि.मी. की ग्रिड में पानी की उपलब्धता का आंकलन एवं भविष्य की आवश्यकता सभी वृत्तों के द्वारा बताई गई है, परन्तु यह आंकलन किया जाना आवश्यक है कि क्या सभी रिक्त ग्रिड में जलस्त्रोत बनाने की वास्तव में आवश्यकता है अथवा नहीं। ऐसा संभव है कि रिक्त ग्रिड उन स्थलों पर हों जहां पूर्व से ही बहुमासी नदी नाले उपलब्ध हैं या ऐसे स्थलों पर हैं जहां वन्यप्राणी है ही नहीं। क्षेत्रीय वनक्षेत्रों में जहां–जहां वन्यप्राणी अधिकतर पाये जाते है तथा जहां वन्यप्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो वहीं पर पर जलस्त्रोत विकसित किया जाना चाहिये। ऐसे वन क्षेत्र जहां से वन्यप्राणी गर्मी के दिनों में गांव की ओर रूख करते है वहां वन क्षेत्र के भीतर जलस्त्रोत बनाये जाने चाहिये। वाटरहोल्स आवश्यकता अनुसार ही बनाये जावे।

1.1 सर्वप्रथम क्षेत्र में उपलब्ध जलस्त्रोतों का चिन्हांकन एवं उन्हें नक्शे पर अंकित किया जाना चाहिए। जलस्त्रोतों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जावे–

(अ) दिसम्बर तक पानी उपलब्धता वाले
(ब) मार्च तक पानी की उपलब्धता वाले
(स) वर्ष भर पानी की उपलब्धता वाले

1.2 नक्शे पर चिहांकन के उपरान्त प्रत्येक जलस्त्रोत को क्षेत्र की भौगौलिक स्थिति एवं दूरी के हिसाब से, उक्त जलस्त्रोत कहॉ तक प्रभावी होगा का चिन्हाकन किया जाना चाहिये। तदोपरान्त ऐसे क्षेत्र जो कि किसी जलस्त्रोत के कैचमेंट में नहीं आते हैं, में नया जलस्त्रोत विकसित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

1.3 जलस्त्रोत हेतु स्थल चयन करते समय क्षेत्र में पाये जाने वाले वन्यप्राणियों की प्रजातियों का ध्यान रखा जावे कि कौन सी प्रजाति उक्त क्षेत्र में है। उदाहरणतः एन्टीलोप को जल की आवश्यकता कम रहती है अतः इनके लिये अधिक स्त्रोतों की आवश्यकता नहीं रहेगी।

1.4 नये जलस्त्रोतों के विकास से पूर्व क्षेत्र में स्थित पुराने जलस्त्रोतों का पता लगाया जावे। ऐसे पुराने जलस्त्रोत जिनको पुनर्जीवित किया जा सकता है, उनकी पहचान की जाये। जहॉ तक संभव हो पुराने जल स्त्रोतों का ही विकास किया जावे।

1.5 सर्वप्रथम प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जल जो किन्हीं कारणों से (जैसे पानी तक पहुंचने हेतु रास्ता न होना, झिरों से रिसने वाला पानी किसी स्थान पर एकत्रित न होकर भूमि में सोख लिया जाता हो–क्षेत्र में अवस्थित प्राकृतिक रिसाव को रोककर भी जल एकत्रित किया जा सकता है।) वन्यप्राणियों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो उसे उपलब्ध कराने हेतु प्रबंधन हस्तक्षेप करना चाहिए।

1.6 जलस्त्रोत वनक्षेत्र की वनों की सीमाओं पर नहीं बनाये जाना चाहिये ताकि उनसे अवैध शिकार की सम्भावना में वृद्वि न हो जाये।

1.7 प्राकृतिक जलस्त्रोत यथासम्भव छोटे बनाये जाना चाहिये एवं ऐसे स्थान जहॉ मार्च तक पानी रहता है में खुदाई आदि कर बनाये जावे। इसमें लागत भी कम आवेगी तथा वन्यप्राणियों के उनसे परिचित होने से उनकी उपयोगिता भी अधिक रहेगी।

1.8 सॉसर बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जावे कि सीमेंटेड सॉसर एक ओर सीमेंटेड न हो, वरन् एक ओर गिट्टी और रेत की पीचिंग की जाये। साथ ही सांसर छॉव में बनाया जाना चाहिये एवं इनकी नियमित साफ–सफाई होना आवश्यक होगा।

1.9 जलस्त्रोतों के स्थान निर्धारण में इस बात का ध्यान रखा जावे कि वे सड़कों एवं विद्युतलाईन आदि के नजदीक न हो।

1.1.1 बरसाती नालों पर जहां एनीकट, स्टापडैम निर्माण कर जल संग्रहित किया जा सकता है। परन्तु इसके लिये अत्यंत सावधनी से क्षेत्र चयन किया जाना आवश्यक है।

1.1.2 जलस्त्रोतों का विकास ऐसे क्षेत्रों में हो जहॉ जैविक दबाव (Biotic pressure) कम से कम हो। जल स्त्रोत विकास के समय यह सुनिश्चित किया जाये कि ग्रीष्म ऋतु) में जब पानी की सर्वाधिक कमी होती है (pinch period) तब भी वन्यप्राणियों को जल उपलब्ध हो सके। इसके लिये यह आवश्यक है कि स्थल का चयन सावधानीपूर्वक किया जावे एवं यह भी अध्ययन करा लिया जावे कि स्थल विशेष में किस प्रकार का स्ट्रक्चर–एनीकट, स्टाप डैम, तालाब आदि सफल हो सकेंगे।

1.1.3 यदि पक्के वाटर होल्स बनाये जाते है तो वाटर होल्स में जमा पत्ते/कचड़ो को निरंतर साफ करें जिससे पत्ता/कचड़ा सड़ने से पानी गन्दा न हो। वन्यप्राणियों द्वारा गन्दा पानी पीने से बीमारी फैल सकती है। अत्यंत अपरिहार्य परिस्थिति में ही क्रांकीट के सॉसर बनाये जाना चाहिये, एवं सॉसर के एक हिस्से में कांक्रीट के स्थान पर गिट्टी एवं रेत से पीचिंग की जाये। इसमें पानी रिसता रहता है और पानी साफ रहता है साथ ही आसपास सॉसर के आसपास घास–वनस्पति पनप जाते है जो pinch period में शाकाहारी वन्यप्राणियों के लिये भोजन के रूप में उपलब्ध होता है, इसके अतिरिक्त इस रिसाव से Wallow निर्मित होंगे जो वन्यप्राणियों के लिये उपयोग में आयेंगे। प्राकृतिक जलस्त्रोत बिजली लाइनों से दूर तथा छाया में ही निर्मित किया जाना चाहिये।

1.1.4 वनक्षेत्रों में प्राकृतिक झिरियों की सफाई किसी औजर या उपकरण से नहीं की जाना चाहिये क्योंकि इससे प्राकृतिक रिसाव के बंद हो जाने का खतरा होता है। जिस कारण झिरिया सूख सकती है। झिरिया सफाई का कार्य हाथ से कराया जाना चाहिये, इसमें सुधार की आवश्यकता है।

संरक्षित क्षेत्रों/आंतरिक अंचल में स्थित वनों में सौर ऊर्जा चलित पंपों से पानी की व्यवस्था का प्रयास किया जावे। टेंकर से पानी पहुँचाने की व्यवस्था केवल अपरिहार्य प्रकरणों में ही की जावे।

प्राकृतिक साल्टलिक्स

1. साल्टलिक्स जंगल में बहुतायत में होते है आवश्यकता उन्हें पहचानने की है। प्राकृतिक साल्टलिक की पहचान कराये जाने हेतु वन्यप्राणी बाहुल्य क्षेत्र के अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। इस प्रशिक्षण में जलस्त्रोत बनाने की उपरोक्त विधियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

2. साल्टलिक की पहचान होने के बाद उनका नक्शे पर चिहांकन किया जाना चाहिये एवं साल्टलिक के ऊपर कोई मार्ग,भवन एवं अन्य प्रकार के निर्माण कार्य नहीं कराये जाना चाहिये।

3. निर्देश दिया गया कि सभी वनमंडलाधिकारी प्रत्येक बीट में प्राकृतिक सॉल्ट लिक्स की जानकारी एकत्र करें, जी.पी.एस. लोकेशन लेकर इन स्थलों को मानचित्र पर दर्शाये। सभी बीट क्षेत्र में विद्युत लाईन्स, जलस्त्रोत तथा सॉल्ट लिक्स में लोकेशन दर्शाये जायें। इन स्थलों को गश्ती रूट में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाये। भविष्य में यदि वनमार्ग, चौकी, स्टॉफ निवास आदि का निर्माण करना हो तो ध्यान रखा जाये कि प्राकृतिक सॉल्ट लिक्स, लोटन (wallow) नष्ट न होने पाये।

<u>विगत 7 वर्षों में दर्ज वन्यप्राणी अपराध प्रकरणों में जांच, कोर्ट केस आदि की प्रगति की समीक्षा, विशेषकर शेड्यूल–I के प्राणियों की अस्वाभाविक मृत्यु के संबंध में</u>

1. वनमण्डलाधिकारी शिकार प्रकरणों की स्वयं समीक्षा करें एवं सुनिश्चित करें कि समयावधि में सभी प्रकरणों में वाद प्रस्तुत किया जावे। आगामी बैठक में इस प्रकरणों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की समीक्षा की जाये। वन्यप्राणी अपराध के प्रकरणों में न्यायालय में परिवाद लाने की समय–सीमा 60 दिवस है। अतएव तदानुसार निर्धारित अवधि में वाद प्रस्तुत किये जाने चाहिये।
2. न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने बाद उनकी सतत् समीक्षा आवश्यक है, ताकि उन प्रकरणों में अपराधियों को दण्डित कराया जा सके। इस हेतु न्यायालय शाखा को सशक्त किया जासे एवं संबंधित न्यायालयों में विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति की जाय जो प्रकरण–वार जानकारी प्रस्तुत कर सके। साथ ही उच्च न्यायालयों की तरह जिला स्तर के न्यायालयों में भी प्रत्येक प्रकरण में एक प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति वनमण्डलाधिकारी द्वारा की जावे, जो प्रकरण में अभियोजन पक्ष की उचित प्रस्तुति, गवाहों की उपस्थिति, अधिवक्ता से सतत् संपर्क सुनिश्चित करेगा एवँ उसके स्थानांतरण उपरान्त लंबित न्यायालयीन प्रकरणों को अपने पश्चात्वर्ती अधिकारी को सौंपेगा।
3. विशेषकर अनुसूची –I एवं अनुसूची II के भाग–II के वन्यप्राणियों के न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा नियमित रूप से की जाना चाहिये । इन प्रकरणों में यथासम्भव सहायक वन संरक्षक के द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही में शासन का पक्ष समर्थन सशक्त रूप से कराया जाना चाहिये।
4. दुर्घटना में मारे गये वन्यप्राणी के सम्बन्ध में क्षेत्रीय स्तर पर भ्रम है ऐसे प्रकरणों में वन अपराध प्रकरण पंजीबद्व किया जाना चाहिये अथवा नहीं। दुर्घटना में मारे गए वन्यप्राणी यद्यपि लापरवाहीवश या चूक से मारे गए हों, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 39 के परिपेक्ष्य में अपराध प्रकरण के रूप में ही पंजीबद्ध होंगे।
5. अवैध शिकार के ऐसे प्रकरण जिसमें वन अपराधी अथक प्रयासों के बावजूद पता नहीं लगाये जा सके में खात्मा लगाये जाने हेतु भ्रम की स्थिति है, जिस कारण जांच में लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ती जाती है। इस संबंध में कई अधिकारियों का यह मत था कि जॉच में अथक परिश्रम करने के पश्चात् भी यदि अपराधी का पता नहीं चलता तो प्रकरण की विस्तृत समीक्षा कर एवँ यह सुनिश्चित कर कि जॉच अधिकारी के द्वारा जॉच में कोताही नहीं बरती गई है, वनमण्डलाधिकारी प्रकरण नस्तीबद्ध कर सकते हैं। यदि भविष्य में कभी भी अन्य सुरागों के आधार पर अपराधी पकड़े जाते हैं तो प्रकरण को पुनः जीवित करने की कार्यवाही वनमण्डलाधिकारी कर सकते हैं, परन्तु ऐसे प्रकरणों को समाप्त किये जाने के संबंध में वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, म.प्र. वन्यप्राणी संरक्षण नियम अथवा फॉरेस्ट मैन्युअल तथा परिपत्रों में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है जबकि सी.आर.पी.सी. की धारा 173 में ऐसे एफ.आई.आर. प्रकरण जिनमें जहां जांच के पश्चात भी अपराधी का पता नहीं चल पाया हो उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर न्यायालय के आदेश से समाप्त किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित है। अतः इस संबंध में विधि विभाग से परामर्श लेकर प्रक्रिया निर्धारित करने की कार्रवाई की जाना होगी।

6. न्यायालयीन प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाग के पक्ष में निर्णय नहीं आने के बाद अपील की कार्यवाही पर्याप्त रूचि लेकर नहीं की जा रही है इस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई। जैसे ही निर्णय होता है वनमण्डलाधिकारी प्रकरण का गुणदोष के आधार पर परीक्षण कर समयावधि में अपील करने की कार्यवाही करें। भले ही शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह अभिमत दिया जाता है कि प्रकरण अपील योग्य नहीं है किन्तु अगर वनमण्डलाधिकारी यह उचित पाता है कि प्रकरण में अपील किया जाना युक्तियुक्त होगा तो तदानुसार अपने आधार लिखते हुये अपील की कार्यवाही उनके द्वारा की जाना चाहिये।

7. वन्यप्राणी अपराधों में अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु वर्तमान में जो शुल्क निर्धारित है, वह अत्यन्त अल्प है तथा इसमें अच्छे स्तर के अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हो सकते है। वर्तमान में प्रचलित शुल्क वर्ष 1999 में शुल्क संबंधी आदेश शासन के द्वारा वर्ष 1999 में जारी किया गया था। उक्त शुल्क में संशोधन का प्रस्ताव शीघ्र ही राज्य शासन को भेजा जायेगा।

8. वन्यप्राणी अपराधों की विवेचना न्यायालय में प्रस्तुतीकरण एवं शासन के पक्ष समर्थन में अभी भी कई कमियॉ पाई जाती है जिनका लाभ उठाकर अपराधी बच निकलते है। अतः वन्यप्राणी अपराध विवेचना एवं न्यायालयीन कार्यवाही के सम्बन्ध में नियमित रूप से प्रशिक्षण आयोजित कराये जावे ताकि वन्यप्राणी अपराध से संबधित प्रकरणों में सजा दिजाए जाने की दर में वृद्वि हो सके।

9. निर्देश दिये गये कि वन्यप्राणी अपराध प्रकरणों की छानबीन, फोरेंसिक साक्ष्यों के एकत्रीकरण, इंटेरोगेशन करने, वन्यप्राणियों की पहचान करने तथा न्यायालयीन अभिलेख तैयार करने के संबध में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जावे, जिसमें विशेषज्ञ रिसोर्स पर्सनस को आमंत्रित किया जाये। प्रशिक्षकों का चयन वनमंडलाधिकारी करे, एक प्रशिक्षण में 25–30 प्रशिक्षु ही रखे जाये एवं इन्हें hands on प्रशिक्षण दिया जाये, जिसमें Mock Exercise कराये जाये ताकि हुनर का विकास हो सके।

पैदल गश्ती

1. वन्यप्राणी एवं क्षेत्रीय क्षेत्रों में गश्ती पंजी अलग–अलग प्रारूप में संधारित की जा रही है। अतएव आवश्यकता है कि पंजियों के प्रारूप में एकरूपता लाई जावे एवं पंजियों में उतनी ही जानकारी का समावेश रखा जावे जिसका कि अनुश्रवण किया जाना सम्भव हो।

2. वन्यप्राणी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के ऑकड़े उपलब्ध कराये गये है लेकिन कुछ वनमण्डलों में अत्यन्त कम क्षेत्र वन्यप्राणी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र दर्शाये गये है। अतः वनमण्डलाधिकारी अपने स्तर से पुनः इस बात की समीक्षा कर लेवें कि वन्यप्राणी बाहुल्य वाले क्षेत्र कौन से है तदानुसार उनकी संवेदनशीलता का निर्धारण किया जा सके।

गुप्त सूचना एवं मुखबिर तंत्र का विकास

1. वन विभाग में मुखबिर तंत्र की सुस्थापित व्यवस्था नहीं है। अतः पुलिस अधिकारियों के सहयोग से प्रशिक्षण कराकर मुखबिर तंत्र विकसित करने की कार्यवाही की जाये।

2. प्रत्येक स्तर पर अधिकारी अपने द्वारा विकसित किये गये मुखबिर एवं उसके सम्बन्ध में एक संक्षिप्त जानकारी की एक गोपनीय पंजी संधारित करें जो उसके स्वयं के प्रभार में रहे एवं स्थानान्तर की

स्थिति में जिन्हें प्रभार सौपें उन्हें उस पंजी को सौपा जाये। मुखबिर तंत्र में ग्राम वन समिति, कोटवार, चरवाहों, स्थानीय शिक्षक, सरपंच, वन सुरक्षा श्रमिक की अहम भूमिका हो सकती है। अतः इनके माध्यम से भी सूचना संग्रहित की जाना चाहिये।

3. मुखबिरों को राशि दिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश वन्यप्राणी सुरक्षा (पुरस्कार) नियम 2004 यथासंशोधित 2005 में दी गई है। दोनों अधिसूचनाएँ विभाग की बेवसाईट पर उपलब्ध हैं, अतः किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति नहीं है। इन निर्देशों का पालन करते हुए मुखबिर तंत्र का विकास करें।
4. निर्देश दिये गये कि अधिक से अधिक मुखबिर तंत्र का विकास करें, मुखबिरों को उत्साहित करने के लिये उन्हें अधिक से अधिक राशि पुरूस्कार में देवें। साथ ही वनों में तथा ग्रामों में जो भी बाहरी व्यक्ति आता है उसकी एवँ उसकी गतिविधियों पर संबधित बीटगार्ड को नजर रखनी चाहिए एवँ इस बाबत् सूचना अपने परिक्षेत्राधिकारी को अविलंब प्रेषित करना चाहिये। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने इस बात पर बल दिया कि मुखबिर की गोपनीयता अत्यंत आवश्यक है अन्यथा मुखबिर साथ नहीं देगा। गुप्त सूचना स्थानीय कोटवार, पान की दुकान वाले, स्थानीय ग्रामीण, वन विभाग के सुरक्षा श्रमिक, स्कूल के शिक्षकों से भी प्राप्त हो सकती है। गोपनीय निधि का उपयोग सूचना प्राप्त करने हेतु नये–नये तरीके अपनाना चाहिये।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश भोपाल ने कहा कि गुप्त सूचना वन्यप्राणी संरक्षण से जुड़ी कई अशासकीय संस्थाओं से भी प्राप्त हो रही है इन संस्थाओं से सम्पर्क कर सहयोग लिया जाना चाहिये। इन संस्थाओं में WTI, Traffic-India तथा WWF-India प्रमुख है।

<u>आदतन अपराधियों, घुमक्कड़ शिकारी समुदायों तथा लुहारों की निगरानी</u>

1. आदतन अपराधियों, शिकारियों का नियमित अनुश्रवण किया जावे एवं इसका क्षेत्रीय स्तर पर रोस्टर तैयार कर विभिन्न स्तर के अधिकारी इसकी जॉच करें।
2. वरिष्ठ अधिकारी जब भी भ्रमण पर जाय तो क्षेत्रीय अमले से पारदी एवं अन्य अपराधियों के सम्बन्ध में जानकारी लें ताकि इस ओर उनका रूझान विकसित किया जा सके। आदतन अपराधी एवं पारदी समुदाय के मूवमेंट पर नियमित नजर रखी जाना चाहिये एवं आसपास के वनमण्डलों से यह जानकारी साझा की जाना चाहिये।
3. शिकारी समुदाय के लोगों को अन्य स्वरोजगार योजना में लगाया जाना चाहिये ताकि वे शिकार आदि से विमुक्त हो सकें।
4. पारदी बच्चों को माता–पिता की सहमति से इनसे पृथक रहने एवँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए अब तक किए गए प्रयासों का मूल्यांकन कर, भविष्य की रणनीति तैयार की जाये।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र. भोपाल द्वारा सुझाव दिया गया कि वाइल्ड लाइफ क्राईम कंट्रोल ब्यूरो से वन्यप्राणी अपराध प्रकरणों में सहयोग लेने की आवश्यकता है।

<u>विभिन्न विभागों जैसे पुलिस, विद्युत, शासकीय संस्थाओं एवं अशासकीय संस्थाओं के साथ समन्वय</u>

1. अन्य विभाग एवं संस्थाएं जैसे पुलिस, टाइगर सेल, जिला प्रशासन, विद्युत मण्डल आदि के साथ नियमित बैठक करते रहें तथा जानकारी साझा करें।
2. मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल से सतत् सम्पर्क रखा जावे तथा जहॉ कहीं भी वनक्षेत्र से गुजरने वाली लाईनों में फाल्ट प्राप्त होता है तो उसकी यथासमय सूचना प्राप्त की जाकर संयुक्त गश्ती की जाना चाहिये। इसी

प्रकार वन्यप्राणी के लिये संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस के साथ भी संयुक्त गश्ती एवं जानकारियों का आदान–प्रदान सुनिश्चित करे।

इसके अतिरिक्त वन्यप्राणी संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं के साथ जैसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली, क्षेत्रीय वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण ब्यूरो, जबलपुर, सेन्टर फॉर वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक एण्ड हेल्थ जबलपुर, क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राईक फोर्स तथा वन्यप्राणी संरक्षण से जुड़े गैर शासकीय संस्थाएं जैसे विश्व प्रकृति निधि– भारत, ट्रेफिक इंडिया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसायटी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट से भी समन्वय स्थापित करें।

वन एवं वन्यप्राणी अपराधियों का डाटाबेस तैयार कर उन्हें साझा किया जाना

1. वन्यप्राणी अपराधियों के डाटाबेस के लिये प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी द्वारा अपने पत्र क्र. /संरक्षण/2788 दि0 4/6/2010 से निर्देश/प्रपत्र भेजे गये है। इन्ही प्रपत्रों में अपराधियों का डोजियर तैयार कराया जावे । वन्यप्राणी अपराधियों की जानकारी टाईगर स्ट्राईक फोर्स की संबंधित रीजनल इकाईयों तथा मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक कार्यालय को भी उपलब्ध कराया जाये।
2. वन्यप्राणी अपराध प्रकरणों में लिप्त पाये गये व्यक्तियों के डाटाबेस तैयार करने हेतु मुख्यालय द्वारा सॉफ्टवेयर बनाकर विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किया जा चुका है। क्षेत्रीय अधिकारी अपराधियों के संबंध में उपलब्ध जानकारी अविलंब डाटाबेस में भरें एवं भविष्य में इसे नियमित रूप से अपडेट किया जाये।
3. वन्यप्राणी डाटाबेस के सम्बन्ध में वर्तमान में चार प्रपत्र क्रमशः डी–1, डी–2, डी–3 एवं डी–4 वर्ष 2010 से प्रचलित है जिनकी आनलाईन प्रविष्टि संबंधित वनमण्डलों द्वारा की जाना है किन्तु देखने में यह आ रहा है कि इनकी नियमित प्रविष्टि नहीं की जा रही है। संबंधित मुख्य वन संरक्षक एवं वनमण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इसमें सतत् रूप से अद्यतन प्रविष्टि की जाती रहे।

जनहानि, जनघायल, पशुहानि एवं फसलहानि मुआवजा

1. वर्ष 2013–14 से फसल हानि का बजट आवंटन राजस्व विभाग को कर दिया गया है। अतः क्षेत्रीय स्तर पर इसका वृहद प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिये।
2. जनघायल एवं जनहानि के प्रकरणों में फर्जी प्रकरण न पंजीबद्ध हो पाये इस हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। पशु हानि के प्रकरण में वर्तमान में गाय/भैंस हेतु मुआवजा राशि रू. 16000/– कर दिया गया है अन्य पशुओं के लिए भी मुआवजा राशि में वृद्धि की गई है। अत्एव यथासम्भव वन्यप्राणी द्वारा मारे गये पशु के मुआवजा के रूप में अधिकतम देय राशि का भुगतान संबंधित को समय पर किया जाना सुनिश्चित करे।

श्वान दस्ता के उपयोग की समीक्षा

1. मध्यप्रदेश में वर्तमान मे इटारसी एवं जबलपुर में डॉग स्क्वाड कार्यरत है तथा इनके कार्यक्षेत्र को निर्धारित किया गया है। समस्त क्षेत्रीय पदाधिकारी डाग स्क्वाड का अधिक से अधिक उपयोग करें यह सुनिश्चित किया जावे।

2. जहॉ कहीं भी क्षेत्रीय स्तर पर अतिरिक्त डॉग स्क्वाड स्थापित करने की आवश्यकता है वहॉ के क्षेत्रीय अधिकारी ऐसे योग्य दो वनरक्षक/वनपालों का चयन कर नाम भेजें जो कम से कम 10 वर्ष तक इस दिशा में कार्य करने के इच्छुक हों।

<u>टाइगर स्ट्राइक के पास उपलब्ध संसाधन, अमले तथा विगत 3 वर्षों में किये गये कार्यों की समीक्षा</u>

1. टाइगर स्ट्राइक फोर्स को सक्रिय किये जाने की आवश्यकता है, ताकि उसकी स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। संबधित मुख्य वन संरक्षक इनका नियमित अनुश्रवण करते रहें। मुख्यालय स्तर पर टाइगर स्ट्राइक फोर्स के प्रभारी मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी तथा सहायक वन संरक्षक टाइगर स्ट्राइक फोर्स के कार्यों का सतत् अनुश्रवण करें एवॅ जिन प्रकरणों में पुलिस, नेशनल वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो से मदद की आवश्यकता हो वह प्रयास कर उपलब्ध करायें।
2. समीक्षा में यह पाया गया है कि जबलपुर एवॅ सागर वृत्त में टाइगर स्ट्राइक फोर्स का उपयोग रेस्क्यू कार्य में किया जा रहा है, यह प्रथा बंद की जाये।
3. मुख्यालय स्तर से टाइगर स्ट्राइक फोर्स का पृथक कार्यालय बन चुका है। शीघ्र ही यहां सी.डी.आर. एनालिसिस का कार्य प्रारंभ हो जायेगा। भविष्य में वन्यप्राणी शिकार के प्रकरणों में लिप्त अपराधियों के मोबाइल फोन नम्बर के आधार पर प्राप्त किये गये कॉल डिटेल्स, यूजर डिटेल्स, टॉवर लोकेशन, **IMEI (International Mobile Equipment Identity)** नम्बर के विश्लेषण का कार्य मुख्यालय स्थित टाइगर स्ट्राइक फोर्स के द्वारा किया जा सकेगा। यह ध्यान रखें कि आपके द्वारा भेजी गई जानकारी सर्विस प्रोवाइडर से सॉफ्ट कापी (एक्सेल शीट में) प्राप्त कर ही भेजी जाये।
4. क्षेत्रीय अधिकारियों के द्वारा यह बताया जाता है कि कई बार पुलिस अत्यंत व्यस्तता के कारण पुलिस विभाग, सी.डी.आर., एस.डी.आर., टॉवर लोकेशन की जानकारी समय पर विभाग को उपलब्ध नहीं करा पाती। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य शासन के द्वारा सभी उप वनमंडलाधिकारियों, अधीक्षक अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान के संचालकों को वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 50 (8) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करने के लिये सशक्त कर चुकी है। इस धारा के अधीन अधिकारियों को यह अधिकार है कि वे किसी भी वन्यप्राणी अपराध के अन्वेषण के दौरान किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था से जानकारी, दस्तावेज मांग सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था अन्वेषण अधिकारी के द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है तो यह वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन माना जायेगा एवं दंडनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। अतः आप सभी महत्वपूर्ण शिकार प्रकरणों में अन्वेषण अधिकारी की नियुक्ति करें एवं वे धारा 50 (8) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त किये गये अधिकारों का उपयोग करें।

<u>संरक्षित क्षेत्रों के अतिरिक्त वनमंडलों में गठित किये गये वन्यप्राणी रेस्क्यू स्क्वाड के प्रशिक्षण तथा उनके द्वारा गठन उपरांत किये गये कार्यों की समीक्षा</u>

1. इस हेतु प्रॉकलन तैयार कर प्रस्ताव प्रेषित किए जावें ताकि राशि का आवंटन किया जा सके।
2. जहां तक पिंजरों का प्रश्न है, पिंजरे अपने स्तर पर किसी भी डिजाईन के तैयार न किए जाये। पिंजरे वन विहार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही बनवाये जायें। इस हेतु उपयुक्त होगा कि वन विहार से पिंजरे का डिजाईन लेकर पिंजरे बनवाये जाये।

3. जहां तक पिंजरे को परिवहन करने का प्रश्न है, वनमण्डलों में उपलब्ध टाटा 207 वाहन का उपयोग पिंजरों को परिवहन हेतु किया जावे क्योंकि 63 वाहन एक साथ उपलब्ध कराया जाना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है।

4. अन्य सामग्री में **जी.आई. वॉयर कटर रेस्क्यू दल के साथ अनिवार्य रूप से होना चाहिए**। क्योंकि यदि किसी फंदे में फंसे वन्यप्राणी को रेस्क्यू करना है तो कटर न होने की स्थिति में वन्यप्राणी को फंदे से मुक्त नहीं किया जा सकता। फंदे में फंसा वन्यप्राणी लगातार फंदे से मुक्त होने का प्रयास करता है और फंदा लगातार कसता जाता है, जिससे वन्यप्राणी की मृत्यु हो सकती है।

5. वन्यप्राणी– मानव द्वंद अथवा घायल वन्यप्राणी के संबंध में सूचना मिलते ही पूरी तैयारी के साथ रेस्क्यू दल को मौके पर पहुँचकर वन्यप्राणी एवँ स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

6. वरिष्ठ अधिकारियों का दायित्व है कि वे जिला प्रशासन थाना पुलिस को तत्काल सूचित कर उनसे लॉ एण्ड ऑर्डर व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना चाहिए।

संरक्षित क्षेत्रों के बाहर गठित 56 वन्यप्राणी सुरक्षा चौकियों को उपलब्ध अमले, संसाधन एवं अब तक किये गये कार्यों की समीक्षा

1. वन्यप्राणी सुरक्षा चौकियों की अधोसंरचना हेतु जो भी आवश्यकता है उसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे। इस हेतु राशि उपलब्ध करा दी जावेगी। वन्यप्राणी सुरक्षा चौकियों के संचालन हेतु योजना मद 6349 के अंतर्गत राशि की मॉग वन्यप्राणी शाखा से करें। यदि यहॉ राशि कम पड़ती है तो वन्यप्राणी शाखा प्रस्ताव को अनुशंसा सहित संरक्षण शाखा को भेजेगी ताकि योजना मद 2730 के अंतर्गत राशि उपलब्ध कराई जा सके।
2. समस्त वन्यप्राणी सुरक्षा चौकियों को वाहन आवंटित किये गये है। इन वाहनों का उपयोग वन्यप्राणी सुरक्षा चौकी पर ही किया जावे, जहॉ कहीं भी वाहन अन्यत्र उपलब्ध कराये गये है उन्हें तत्काल वन्यप्राणी सुरक्षा चौकियों को उपलब्ध कराया जाये।
3. वन्यप्राणी सुरक्षा चौकियों में रखी बन्दूकों की सुरक्षा एवं रख–रखाव के सम्बन्ध में संरक्षण शाखा से जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।
4. सुरक्षा चौकियों के रखी जाने वाली पंजियों की संख्या अत्यधिक है तथा इसमें कई ऐसी पंजियॉ है जिनकी विशेष उपयोगिता नहीं है। अतः सुरक्षा चौकी में रखी जाने वाली पंजियों का युक्तियुक्तकरण कर इनकी संख्या कम की जावे एवं इन्हें सरल बनाया जाये।
5. यह निर्देश दिया गया कि वन्यप्राणी सुरक्षा चौकियों की कार्यप्रणाली एवँ प्रभावशीलता की समीक्षा वनमण्डलाधिकारी एवँ मुख्य वन संरक्षक नियमित रूप से करेंगे। इन चौकियों को प्रदाय किए गए वाहनों एवँ उपकरणों का अन्यत्र उपयोग रोके।

संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वायरलेस प्रणाली का उपयोग

1. वायरलेस की उपयोगिता के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से यह मान्य किया गया कि वायरलेस प्रणाली वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है एवं इसका कोई विकल्प नहीं है। अतः इसकी पुनर्स्थापना आवश्यक है। इस हेतु समस्त क्षेत्रीय अधिकारी अपने यहॉ उपलब्ध वायरलेस सेटों की समीक्षा कर लें कि उनके यहॉ कितने वायरलेस सेट हैं इनमें से कितने मरम्मत उपरान्त उपयोग में लाये जा सकते हैं तथा कितने अनुपयोगी हो चुके हैं । ऐसे वायरलेस जिनकी मरम्मत या बैटरी बदले जाने पर कार्य कर सकते हैं उनका उपयोग कर सर्वप्रथम संवेदनशील क्षेत्रों में वायरलेस को प्रारम्भ किया जाये।

2. वायरलेस की लायसेंस फीस भुगतान हेतु सभी वन वृत्तों से कार्यरत एवं बन्द पड़े वायरलेस की जानकारी चाही गई थी। किन्तु खेद का विषय है कि कई बार निर्देशित किये जाने के बावजूद भी उक्त जानकारी अद्यतन अप्राप्त है। अब 15 दिवस के अन्दर उक्त जानकारी भेजी जाना सुनिश्चित करें।

3. निर्देश दिये गये कि मुख्य वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी बंद पड़े वायरलेस उपकरणों की जांच करा लें, जो उपकरण ठीक हो, एवं जो सुधारने योग्य हो उनका उपयोग प्रारंभ किया जाये, जो वनक्षेत्र संवेदनशील है वहां पर वायरलेस सेट प्रणाली चालू की जावे। मुख्य वन संरक्षक सिवनी द्वारा बताया गया कि सेल फोन आ जाने के कारण वायरलेस सेटों का उपयोग धीरे–धीरे बंद हो गया है। श्री रवि श्रीवास्तव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) ने यह भी जानकारी चाही कि कितने वायरलैस उपकरण कौन–कौन सी अवधि से उपयोग में नहीं हैं इसकी जानकारी सभी वनमंडलों से मांगी गई है, ताकि लाईसेंस फीस के संबंध में भारत सरकार के टेलीकाम विभाग को सही जानकारी देकर भुगतान योग्य वास्तविक फीस का आंकलन कराया जा सके। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्देश दिया गया कि यह जानकारी संरक्षण शाखा को शीघ्र भेजी जाये। जिससे कि उपयोग अनुसार ही लायसेंस फीस जमा की जाये।

<u>सेन्टर फॉर वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक एण्ड हेल्थ जबलपुर को पिछले 5 वर्षों में संरक्षित क्षेत्र एवं इनके बाहर के वनमंडलों/वन विकास निगम के मंडलों द्वारा सौंपे गये कार्य, प्रेषित सेंपल तथा सेंटर द्वारा उनका निष्पादन तथा इसमें लिया गया समय (वर्षवार औसत समय तथा न्यूनतम एवं अधिकत समय) की समीक्षा। सेंटर द्वारा क्षेत्रीय अमले हेतु तैयार किये गये फील्ड मैन्युअल की उपयोगिता की समीक्षा। साथ ही Osteological reference museum की स्थापना की प्रगति की समीक्षा</u>

1. इस संबंध में उपस्थित मुख्य वन संरक्षकों तथा क्षेत्र संचालकों द्वारा यह आग्रह किया गया कि यदि सैम्पल जांच योग्य नहीं है तो यथाशीघ्र भेजने वाले वनमण्डल/वन्यप्राणी इकाई को इस संबंध में त्रुटियों का उल्लेख करते हुए अवगत करा दिया जाये। इससे किसी भी प्रकार का संशय न हो कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी अथवा नहीं। इस दिशा में निदेशक सेन्टर फॉर वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक एण्ड हेल्थ जबलपुर के द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाये।

2. निदेशक सेन्टर फॉर वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक एण्ड हेल्थ जबलपुर, मृत वन्यप्राणियों के शरीर के अवयवों से बीमारी की जांच करने के संबंध में सेन्टर के द्वारा पूर्व में बनाये गये मेनुअल को अद्यतन कर इसे शीघ्र उपलब्ध करायें ताकि क्षेत्रीय इकाईयों को पुनः उपलब्ध कराया जा सके।

3. चूंकि क्षेत्रीय वनमंडलों में वन्यप्राणी पशु चिकित्सक पदस्थ नहीं है, अतः सभी वनमंडल स्थानीय पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सकों में से वन्यप्राणी में रूचि रखने वाले चिकित्सकों को चिन्हित करे ताकि इन्हें सेन्टर फॉर वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक एण्ड हेल्थ जबलपुर के तथा संरक्षित क्षेत्रों में पदस्थ वन्यप्राणी चिकित्सकों के माध्यम से मूलभूत प्रशिक्षण दिलाया जा सके।

<u>पिछले 3 वर्षों में बाघ/तेन्दुआ एवं उनके शावकों की गतिविधियों के अनुश्रवण हेतु संरक्षित क्षेत्रों के बाहर की जा रही कार्यवाही, संधारित अभिलेखों आदि की समीक्षा</u>

1. ऐसे वनमंडलों में जहां बाघ एवं तेन्दुए के कारण मानव वन्यप्राणी द्वंद की स्थिति है एवं जो वनमंडल बाघ विचरण कॉरीडोर में स्थित है वहां बाघ, तेन्दुए की गतिविधियों के अनुश्रवण हेतु विशेष दल गठित किया जाये, इस हेतु राशि की मांग आयोजना मद संख्या 6349 के अंतर्गत वन्यप्राणी शाखा से की जाये।

2. जिन वनमंडलों में बाघ तेन्दुए की उपस्थिति दर्ज की गई है, वहां पग इंप्रेशन पेड बनाकर बीट रक्षकों एवं गश्ती दलों द्वारा नियमित अनुश्रवण किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। आवश्यकता होने पर कैमरा ट्रेप भी लगाये जा सकते हैं।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी एस.ओ.पी. क्रमांक 1 (बाघों की मृत्यु उपरांत की जाने वाली कार्यवाही) तथा एस.ओ.पी. क्रमांक 2 (मानव आबादी क्षेत्र में बाघ के आ जाने पर की जाने वाली कार्रवाई) पर अब तक किये गये पालन की समीक्षा

1. शिकार प्रकरणों में अपनाई जाने वाली Standard Operational Procedure (SOP) विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। वन्यप्राणी शिकार के सभी प्रकरणों में जांच की कार्रवाई एस.ओ.पी. में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ही की जायेगी।
2. सभी क्षेत्रीय वन संरक्षक एस.ओ.पी. की प्रतिलिपि रेंज स्तर तक तत्काल वितरित करायें एवं भविष्य में होने वाले सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एस.ओ.पी. पर भी प्रशिक्षण दिया जाये।

संरक्षित क्षेत्र एवं उसके बाहर पाये जाने वाले बाघों के पहचान हेतु फोटो, एलबम एवं सी.डी. बनाकर रखने की कार्यवाही की समीक्षा

एन.टी.सी.ए. के द्वारा संरक्षित क्षेत्रों से बाहर विचरण कर रहे बाघों के अनुश्रवण के लिये भी एस.ओ.पी. जारी किया गया है, जिसे सभी वृत्तों, वनमंडलों तथा संरक्षित क्षेत्रों को ई मेल के माध्यम से भेजा गया है, साथ ही विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दिया गया है, अतः सभी इकाईयां इसका पालन करते हुये अनुश्रवण की कार्रवाई करें एवं फोटो डॉक्यूमेंटेशन सुनिश्चित करें, यदि उपकरण आदि की आवश्यकता हो तो आयोजना मद 6349 के अंतर्गत वन्यप्राणी शाखा से मांग करें।

वन्यप्राणियों की पहचान एवं उनका सतत् अनुश्रवण

1. इस संबंध में यह सुझाव है कि इन क्षेत्रो में निम्नानुसार तीन अवसरों पर वन्यप्राणी की क्षेत्र में उपस्थिति बीट बुक में दर्ज की जानी चाहिये –
   (अ) बीट निरीक्षण के दौरान तथा सामान्य वन भ्रमण के दौरान पी.आई.पी. एवं संकेत चिन्ह तथा प्रत्यक्ष दर्शन के माध्यम से।

   (ब) वन्यप्राणी द्वारा गारा किये जाने पर।

उक्त विवरण बीट बुक में निम्नानुसार रखा जा सकता है :–

दिनांक	बीट का नाम	कक्ष क्रमांक	पहचान किया गया वन्यप्राणी	पहचान का आधार	यदि साक्ष्य एकत्रित किया गया हो तो विवरण

2. उक्त बीट बुक की जानकारी प्रतिमाह परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा एक्सल शीट में संकलित कर वनमंडलाधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिये जहॉ इसके आधार पर पंजी तैयार की जानी चाहिये।

साथ ही जहां भी संभव हो वन्यप्राणी देखे जाने पर उसका छायाचित्र खींचकर फोटो डॉक्यूमेंटेशन किया जाये, इस हेतु साधारण डिजीटल कैमरे बीट गार्ड स्तर तक प्रदाय किये जाने की आवश्यकता है।

<u>प्रशिक्षण एवं आवश्यक उपकरण</u>

1. सभी वृत्त वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण कर लें। संस्थाओं से संपर्क कर क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करायें।
2. वन्यप्राणी के विभिन्न अवयवों के सेम्पल एकत्रित करने की एक सुस्थापित विधि है उसी के अनुरूप सेम्पल एकत्रित किये जाने चाहिये एवं उनको भली–भॉति संरक्षित कर भेजा जाना चाहिये। अच्छी गुणवत्ता के नमूनों के आधार पर ही जॉच केन्द्र उस पर अपना निष्कर्ष निकाल सकते है। इस सम्बन्ध में अगर आवश्यक हो तो कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी कराया जाना चाहिये।

राज्य स्तरीय वन्यप्राणी अपराधी डाटाबेस, जो वेब आधारित हो, विकसित कर उसमें जानकारी अपलोड कर विभिन्न एजेंसियों से साझा करना –

यह पाया गया है कि वन्यप्राणी शाखा में विभाग में वन्यप्राणी अपराध हेतु वेब आधारित सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। तथा सूचना प्रोद्योगिकी शाखा के द्वारा विकसित एफ.ओ.एम.एस. में भी वन्यप्राणी अपराध की जानकारी भरे जाने हेतु सॉफ्टवेयर में पृथक व्यवस्था की गई है, परन्तु इन दोनों डाटाबेस में क्षेत्रीय इकाई द्वारा नियमित रूप से आंकड़ों की पृविष्ट नहीं की जा रही है।

यह भी पाया गया है कि राष्ट्रीय वन्यप्राणी अपराध कंट्रोल ब्यूरो तथा जबलपुर स्थित इस संस्था की क्षेत्रीय इकाई से डाटा का आदान–प्रदान नहीं हो रहा है। इसमें न केवल वन विभाग की ओर से वरन भारत सरकार की ओर से पर्याप्त रूचि नहीं ली गई है। प्रदेश में गठित 5 टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाईयों के कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य डाटाबेस तैयार करना तथा इसे अन्य सहयोगी संस्थाओं से साझा करना भी है, जिसमें काफी कमीं पायी गई है। सभी क्षेत्रीय अधिकारी भविष्य में मुख्यालय स्तर पर डाटाबेस का एकत्रीकरण करने के कार्य में आपसे संबंधित टाइगर स्ट्राइक फोर्स की इकाई तथा मुख्यालय की इकाई को सहयोग दें एवं समय पर डाटा एन्ट्री सुनिश्चित करायें। मुख्यालय स्थित टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई, सेन्टर फॉर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तथा सहयोगी अशासकीय संरक्षण संगठनों के साथ आवश्यक डाटा का आदान–प्रदान सुनिश्चित करें।

(नरेन्द्र कुमार)
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र.